उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमवाला देहरादून

उत्तराखण्ड में सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत पदकोड–68 पदनाम–प्रारूपकार के रिक्त पदों पर भर्ती के अन्तर्गत द्वितीय चरण के अभिलेख सत्यापन हेतु विज्ञप्ति

विज्ञापन सं0 7684/उप्राशिप/स0ग0भ0–प0को0 68/अ0सत्या0/2016–17 दिनांकः 07/06/2016

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह 'ग' के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 4057/उप्राशिप/स0ग0भ0प0/2014 दिनांक. 8/2/14, 4063/उप्राशिप/ स0ग0भ0प0/2014 दिनांक. 9/2/14 एवं 4070/उप्राशिप/ स0ग0भ0प0 /2014 दिनांक. 10/2/14 के माध्यम से सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग में पदकोड–68 पदनाम–प्रारूपकार के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 अक्टूबर 2015 को किया गया। लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर सिचाई विभाग में प्रारूपकार की रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके अभिलेख सत्यापन दिनांक 02 मार्च 2016 को प्रातः 10.00 बजे 'उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, राजकीय पालीटेकनिक पित्थूवाला परिसर देहरादून' में आमंत्रित किया गया। अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों में से पद हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति की गयी।

प्रथम चरण के अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के सापेक्ष मेरिट में अगले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सिंचाई विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग में प्रारूपकार के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष आमंत्रित किया जाता हैः–

पदकोड–68, पदनाम– प्रारूपकार

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी	उपश्रेणी	अनुक्रमांक	प्राप्तांक	विभाग का नाम
1	AFTAB ALAM	GEN		1684105281	52	सिंचाई विभाग
2	PUSHKAR SINGH MEWAR	GEN		1684104090	51.75	सिंचाई विभाग
3	HIMANSHU JOSHI	GEN		1684202168	51.5	सिंचाई विभाग
4	ASHISH PRASAD SEMWAL	OBC		1684103442	51.5	सिंचाई विभाग
5	GANESH CHANDRA NAUTIYAL	OBC		1684101215	50	सिंचाई विभाग
6	AMARDEEP	SC		1684105508	49	सिंचाई विभाग
7	ASHISH SAINI	OBC		1684104303	59	लघु सिंचाई विभाग
8	ROHINI	SC	WO	1684201056	50	लघु सिंचाई विभाग

उपरोक्तानुसार अभिलेख सत्यापन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार समस्त अभिलेख सहित दिनांक 24 जून 2016 को प्रातः 10.00 बजे उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर आमवाला देहरादून में आमंत्रित किया जाता हैः–

1. उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र की 2–2 छायाप्रति एवं मूल प्रति। (आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च 2014 से पूर्व का जारी हो।)
2. समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, उपाधियों एवं अंकतालिकाओं की 2–2 छाया प्रतियां एवं मूल प्रतियां।
3. पद हेतु वांछित अनुभव की 2–2 छायाप्रतियां एवं मूल प्रतियां।
4. समस्त आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों (आरक्षित वर्ग GEN(WO,PH,EX,DFF), OBC, SC,ST (WO,PH,EX,DFF) के अभ्यर्थियो हेतु उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है) की 2–2 छाया प्रतियां एवं मूल प्रतियां।
5. केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण पत्र की 2 छायाप्रति एवं मूल प्रतियां।
6. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दो नवीनतम फोटोग्राफ।
7. लिखित परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र मूल रूप में।
8. निर्धारित प्रारूप पर भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में (परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in पर प्रारूप उपलब्ध है)।

परिषद् द्वारा आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश पत्र जारी किये गये हैं अतः अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में उपस्थित होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि वे पद हेतु समस्त अर्हतायें पूर्ण करते हैं अथवा नहीं।

आयुः उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा जारी आयु सीमा सम्बन्धी नियमावली के अनुसार सेवा में पद हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। विभागीय नियमावली के अनुसार सिंचाई विभाग में प्रारूपकार के पद हेतु **न्यूनतम आयु 21 वर्ष** एवं लघु सिंचाई विभाग में प्रारूपकार के पद हेतु **न्यूनतम आयु 18 वर्ष** निर्धारित की गयी है। आयु की गणना **1 जनवरी 2014** को की जायेगी।

नोटः– अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से बुलावा पत्र प्रेषित किया गया है। अतः अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से परिषद कार्यालय में सम्पर्क न करें। परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता का अवलोकन अवश्य कर लेवें। अभिलेख सत्यापन में आमंत्रित करने का तात्पर्य अंतिम रूप से नियुक्ति होना नहीं है।

सचिव